खंड–४ संख्या–१३

बिहार विधान-सभा वादवृत

[भाग–२ कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित]

बुधवार, तिथि १५ जुलाई, १९८१

विषय-सूची

पृष्ठ

शून्यकाल की चर्चाएँ :

(क) बाँध की सुरक्षा १

(ख) आग से जले गाँव के गरीबों को राहत ... २

(ग) नवादा जिला के जिलाधीश श्री महेश पात्र पर भ्रष्टाचार का आरोप। ... २

(घ) नाव के अभाव में जनता को कठिनाई ... २

(ङ) पुलिस एवं प्रशासन की निष्क्रियता ... ३

(च) पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी थाना के हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार। ... ३

(छ) भूतपूर्व मुखिया की हत्या ४

(ज) वेतन के अभाव में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी भुखमरी के कगार पर। ... ४

(झ) मुख्य अभियंता, सिंचाई, देवघर द्वारा विभागीय आदेश की अवहेलना। ... ५

(ञ) परीक्षा केन्द्र का निर्धारण ५

(ट) अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्रवाई ... ६

(ठ) नालन्दा जिला में असामाजिक तत्वों द्वारा कातिलाना हमला। ... ७

मैं शून्य काल संबंधी संचिका सदन के सामने रखता हूँ इसकी सूचना इसमें नहीं है। हमने कल श्री लालमुनी चौबे को बोलने नहीं दिया क्योंकि इस तरह की कोई सूचना उनकी हमारे पास नहीं थी। जिनकी सूचना यहाँ नहीं है उनको नहीं बोलने देंगे। दूसरी बात है कौल अटेंशन की कोई सूचना माननीय सदस्य देते हैं तो उसकी स्वीकृति का निर्णय सदन में होता है? क्या ऐसी परम्परा है? आप पुराने और नये सदस्य-दोनों हैं, अगर यह परम्परा कायम कीजिये तो चेयर से ही होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह विषय कल उठा था। इसको श्री शिवनंदन पासवान जी ने उठाया था। वह भी संचिका में है। इस सम्बन्ध में दो प्रश्न पहले से लम्बित हैं। इनको देखकर ही मैं कुछ अपना नियमन दूँगा। संतोषजनक निर्णय लेंगे। आपकी भावनाओं को देखते हुये, सदन की भावना को देखते हुये संतोषजनक बात करेंगे।

श्री मो० हुसैन आजाद—अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह घटना बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत है और इसमें न सरकार की तरफ से कोई बात आ रही है कि सरकार क्या करने जा रही है और आपके यहां भी ढीले हो रहा है।

अध्यक्ष—हमने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे। तीनों माननीय सदस्य जो खड़े थे वे हमसे चैम्बर में मिलने आये थे। हमने उनको सारी परिस्थिति बता दी है। मैंने कहा है कि मुख्य मंत्री से बातें करूँगा। अभी भी कह रहा हूँ कि आपकी भावना को देखते हुये जो नियमानुकूल होगा हम करेंगे।

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य :

(क) पिपरासी बाँध के निर्माण कार्य में विलम्ब।

श्री सदानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, पिपरासी पिपराघाट तटबन्ध योजना से बिहार एवं उत्तर प्रदेश लाभान्वित होंगे। इन दोनों प्रदेश के कुछ इलाकों को गंडक नदी की बाढ़ से बचाने हेतु पिपरासी पिपराघाट तटबन्ध योजना का निर्माण किया जा रहा है। पिछले वर्ष बिहार के इलाकों में ३ जगह कटाव हुये थे और उसके बाद एक उच्चस्तरीय समिति ने जिसमें गंगा-बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष एवं बिहार और उत्तर प्रदेश के अभियंता प्रमुख थे, स्थल का निरीक्षण किया और